

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 97 / 2010
संस्थान दिनांक 25.03.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

दीपक पिता बाबुलाल सिर्वी, आयु 32 वर्ष,
निवासी-ग्राम भागसुर, थाना राजपुर
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.03.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 43/2010 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 25.03.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 28.02.2010 को समय शाम लगभग 5:30 या 6:00 बजे, ग्राम पीपल्या के पास, उचावद रोड़ पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम. 6485 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर सेनसिंह की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28.02.2010 को सुखेदव एवं कनसिंह साईकिल से ग्राम उचावद जा रहे थे। पीपल्या डेब के पास उचावद की ओर से अभियुक्त दीपक अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.बी. 6485 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया एवं सेनसिंग को टक्कर मार दी जिससे सेनसिंग को चोंटे आई। सेनसिंग को ईलाज हेतु बड़वानी अस्पताल लेकर गये थे जहाँ चोंटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मार्ग क्रमांक 5/10 अंतर्गत धारा 174 द.प्र.सं. की जाँच एवं

सुखदेव के कथनों के आधार पर वाहन हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी. 6485 के चालक दीपक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 43/2010 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी सुखदेव की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 1 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त दीपक से हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी. 6485 मय दस्तावेजों तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 8 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सुखदेव, मोहन, सुभाष, बद्रीलाल, रेखाबाई, विजय एवं भुरु के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.02.2010 को समय शाम लगभग 5:30 या 6:00 बजे, ग्राम पीपल्या के पास, उचावद रोड पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम. 6485 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर सेनसिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी मोहन (अ.सा.1), सुखदेव (अ.सा.2), श्रीमती रेखा (अ.सा.3), बद्रीलाल (अ.सा.4), मोहसीन (अ.सा.5), डॉ. प्रकाशचन्द्र बरफा (अ.सा.6) एवं सहायक उपनिरीक्षक कमल दसौधी (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सुखदेव असा 2 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। 3-4 वर्ष पूर्व सेनसिंह साईकिल से ग्राम उचावद जा रहा था, तब रास्ते में उचावद की ओर से मोटरसाईकिल चालक आया और सेनसिंह को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सेनसिंह को हाथ-पैर पर चोटें आई थी, फिर वह सेनसिंह को जिला चिकित्सालय बड़वानी लेकर गया, रात्रि में सेनसिंह की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मोटरसाईकिल चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर ला रहा था। पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी और वह घटना होने के बाद पहुँचा था।

8. मोहन असा 1 ने उचावद के रास्ते पर दुर्घटना होने की ओर एक व्यक्ति के वहाँ पर गिरे होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वहाँ पर उस समय कोई भी उपस्थित नहीं था तो उसने गाँव वालों को बुलाया था और उनकी मदद से मारुति वेन में घायल को बड़वानी के अस्पताल में भर्ती कराया था, वह व्यक्ति बेहोश था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक 28.02.2010 की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो अभियुक्त एवं अन्य लोग खड़े थे तथा अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि घायल व्यक्ति को उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.बी. 6485 से टक्कर लगी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

9. श्रीमती रेखाबाई असा 3 ने अपने पति सेनसिंह की मोटरसाईकिल दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पति के साथ सुखदेव मजदूरी करने आया था और उसे ऐसा पता चला था कि दीपक ने टक्कर मार दी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे यह पता चला था कि दीपक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारी थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 2 का कथन भी देने से इंकार किया है।

10. बद्रीलाल असा 4 ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उचावद की ओर से मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर सेनसिंह एवं सुखदेव की साईकिल को टक्कर मार दी थी। यहाँ तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है।

11. मोहन असा 5 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 43/10 में जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.बी. 6485 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें कोई तकनीकी त्रुटि नहीं होना पाई थी। साक्षी ने उसका यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है।

12. डॉ. प्रकाश चन्द्र बरफा असा 6 ने दिनांक 01.03.2010 को जिला चिकित्सालय बडवानी में आरक्षक बाबुलाल के लाने पर सेनसिंह पिता दरियाव के शव का परीक्षण कर प्रदर्शपी 5 का शव परीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि मृत्यु हृदय गति एवं सास के रुकने के कारण हुई थी।

13. सहायक उपनिरीक्षक कमल दसौंधी असा 7 ने थाना अंजड़ के मार्ग क्रमांक 21/10 की जाँच उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्शपी 6 का अपराध दर्ज करने और उसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने विवेचना के दौरान सुखदेव के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा साक्षी ने अभियुक्त से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.बी. 6485 मय वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति सहित जप्त किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने नक्शा मौका पंचनामा साक्षी सुखदेव को पढ़कर नहीं सुनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल के आसपास किसी भी साक्षी के कथन नहीं लिये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि किसी भी साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने मन से लेखबद्ध कर लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे किसी भी साक्षी ने वाहन का क्रमांक नहीं बताया था।

14. प्रकरण के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.बी. 6485 को चलाकर उसकी टक्कर सेनसिंह की साईकिल को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहाँ तक कि अभियोजन के समस्त साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं तथा उन्होंने पुलिस को कोई

भी कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है तो उक्त आधारों पर अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और न ही अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जा सकता है।

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त दीपक के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त दीपक को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम. बी. 6485 दिनांक 20.03.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी विजय पिता लक्ष्मण चोयल, निवासी-ग्राम सजवानी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी